न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/499

1. रामनारायण आयु 52 वर्ष आत्मज गोपीराम जाति मीणा निवासी अडीला ।
2. मुकेश आयु 29 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी अडीला ।
3. राकेश उर्फ नरेन्द्र आयु 22 वर्ष आत्मज रामकिशन मीणा निवासी अडीला ।
4. मु0 मुर्श आयु 57 वर्ष विधवा श्री रामकिशन मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्राज आयु 37 वर्ष आत्मज श्री रामकरण जाति मीणा निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी कुल किता 11 रकबा 4.43 हैक्टर में सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और दौराने वाद उक्त भूमि

को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे और न ही किसी अन्य प्रकार से अन्तरण करे उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.10.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि पक्षकारान जाति से मीणा हैं उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा वे पुरानी हिन्दू लॉ से गर्वन होते हैं इस कारण रामप्रकाश जो लाऔलाद हेदान्त हो गया था उसके उत्तराधिकारी उसके भाई होते हैं माता को किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं होता है इस कारण रामप्रकाश के देहान्त के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में माता पुष्पा बाई का नाम दर्ज हो जाने से कानून में कोई फर्क नहीं पडता । राज़स्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण अगर पुष्पाबाई द्वारा कोई रिलीज डीड भी कर दी हो तो उससे रेस्पोडेन्ट इन्द्राज को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं । महिलाओं को केवल जीवनकाल में ही हक होता है जो सीमित है उनको सम्पत्ति अन्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है । इस कारण पुष्पाबाई द्वारा अगर कोई हक भी त्यागा है तो उसे रेस्पोडेन्ट इन्द्राज को हक प्राप्त नहीं होता है । पुष्पा बाई द्वारा कोई हक त्याग भी नहीं किया कानून की जानकारी नहीं होने के कारण हक त्याग के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज का नाम अंकित होने से इन्द्राज को कोई हक प्राप्त नहीं होता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया यह साबित है कि रामेश्वर मांगीलाल जी के गोद चला गया था इस कारण गोपीराम जी की सम्पत्ति में उसका कोई हक नहीं रहा। गोपीराम जी की सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा रामनारायण का, 1/3 हिस्सा रामकिशन उर्फ बाबूलाल जी का जिनके पुत्र अपीलान्ट क्रम 1 व 2 हैं तथा 1/3 हिस्सा रामनारायण जी का है उनके देहान्त के पश्चात् 1/3 हिस्से का मालिक रेस्पोडेन्ट इन्द्राज हुआ । इन्द्राज वर्षों पूर्व गॉव छोडकर चला गया था तथा उसके कब्जे व हिस्से की 09 बीघा भूमि मोडू व जुवारी लाल मीणा के रहन रखी हुई है शेष 2/3 हिस्से की भूमि 18 बीघा पर अपीलान्ट काबिज है। इस कारण रेस्पोडेन्ट इन्द्राज को अपीलान्ट के कब्जे की भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2016 निरस्त फरमया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने वाद वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड के गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि अन्य किसी को रहन, बेचान नहीं करे तथा अपीलान्ट को उनके 2/3 हिस्से में काश्त करने में रूकावट नहीं डाले तथा उनके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 1981 आरआरडी पेज 361, 2006 आरआरडी पेज 464, 2002 आरआरडी पेज 31, 1991 एससी पेज 1581, 2014 डीएनजे (3) पेज 1051, 2014 डीएनजे (1) पेज 229 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है और संयुक्त खातेदारी की भूमि में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन एवं न ही अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित है । उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सभी सहखातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर समान रूप से कब्जा माना जावेगा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2016 (1) आरआरटी पेज 113 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान जो मीणा जाति के सदस्य हैं जिन पर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है उससे सम्बन्धित है जिसका निस्तारण मूल वाद में होगा । ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । यदि रेस्पोडेन्ट ने दौराने वाद उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी और उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

10. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल यही देखना है कि पक्षकारान को अपूर्णीय क्षति न हो ऐसी स्थिति में यदि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी और उसका वाद प्रस्तुत करना ही बेकार हो जावेगा । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2016 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को अन्य किसी को रहन, बेचान नहीं करे तथा अपीलान्ट को उनके 2/3 हिस्से में काश्त करने में रूकावट नहीं डाले तथा उनके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा